








राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान जयपुर
 वित्त भवन, ए-ब्लॉक, ज्योति नगर जनपथ, जयपुर-302005
 (दूरभाष नं०:-0141-2740837, ई-मेल:-jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन /पार्ट-1/अलेसे-III/813



दिनांक :- 13-05-2025

आदेश संख्या 317/2025-26












राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा आयोजित कनिष्ठ लेखाकार एवं तहसील राजस्व लेखाकार प्रतियोगी परीक्षा-2023 में सफल घोषित होने एवं बोर्ड द्वारा कनिष्ठ लेखाकार पद पर नियुक्ति की अनुशंसा किये जाने पर राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 6 के अनुसार निम्नांकित अभ्यर्थियों को एतद् द्वारा राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार के पद पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में उपस्थिति देने की संगत तिथि से 2 वर्ष की कालावधि के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश/परिपत्र तथा सेवा नियमों के अनुसार देय वेतन-भत्तों पर प्रोविजनल आधार पर नियुक्त किया जाता है। नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकार को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि वे संबंधित कोषालय में आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस की अवधि में कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट कोषाधिकारी को प्रस्तुत करें। कोषाधिकारी नवनियुक्त कनिष्ठ लेखाकारों की कार्यग्रहण रिपोर्ट मय दस्तावेज 7 दिवस में इस विभाग को Email-jacct.dta@rajasthan.gov.in पर एवं विशेष वाहक के माध्यम से प्रेषित करें:-

क्र.सं.	नाम (सर्वश्री) पिता का नाम/रोल नं. /मेरिट	जन्मतिथि	कोष कार्यालय का नाम	अभ्यर्थी का फोटो
1.	DINESH KUMAR S/O BHINYA RAM VISHNOI 781663	17-11-1994	BARMER	
2.	MANOJ KUMAR GANGWAL S/O RAMNIWAS GANGWAL 768377	19-05-1991	JAIPUR(CITY)	
3.	VIKRAM SINGH S/O RIDMAL SINGH 735205	25-07-1993	JALORE	
4.	ASHISH DHAKAR S/O PRAHALAD DHAKAR 788530	01-07-2000	CHITTORGARH	
5.	DEEKSHA SHARMA D/O ASHOK KUMAR SHARMA 747704	26-02-1993	ALWAR	
6.	JAGDISH REGAR S/O SHANKAR LAL REGAR 789611	03-04-1994	RAJSAMAND	
7.	SAROJ D/O PUKHRAJ SOLANKI 773567	23-05-2000	JODHPUR (CITY)	

42

8.	RAKESH KHATIK S/O DAL CHAND KHATIK 788512	02-10-1993	CHITTORGARH	
9.	ASHOK SAINI S/O LAL CHAND SAINI 728513	15-07-1995	TONK	
10.	SUSHIL KUMAR BUDANIYA S/O RAMCHA10NDRA SINGH BUDANIYA 769971	03-03-1983	JHUNJHUNU	
11.	SURENDRA BHANWARIA S/O DHARMA RAM 776402	01-02-1986	JODHPUR(CITY)	
12.	PRADEEP LAMBA S/O LEELA DHAR 749920	01-11-1987	JHUNJHUNU	
13.	RAVINDRA KUMAR MEENA S/O GULAB CHAND MEENA 763182	16-06-1997	DAUSA	
14.	SITA RAM SAINI S/O MANOHAR LAL SAINI 764060	12-01-1996	KOTPUTLI-BEHROR	
15.	POONAM CHAND S/O KANA RAM 724323	26-08-1985	BIKANER	
16.	PANKAJ JHAJHRIA S/O MAHAVIR PRASAD 744583	13-11-1987	JHUNJHUNU	
17.	RAM CHANDRA S/O POKAR RAM 709414	04-07-1986	DEEDWANA-KUCHAMAN	
18.	HARSH MEENA S/O SITA RAM MEENA 731651	12-10-1992	JAIPUR(CITY)	

882

19.	ASHOK KUMAR KAUSHIK S/O OM PRAKASH KAUSHIK 717188	08-03-1981	BIKANER	
20.	KAILASH CHANDRA BIJARNIYA S/O NARAYAN LAL 769765	26-12-1983	SIKAR	
21.	KHUSHBOO KUMARI MEENA D/O PRABHU DAYAL MEENA 752480	05-03-2000	JAIPUR(CITY)	
22.	PREM CHAND PRAJAPATI S/O HAR SAHAYA PRAJAPATI 744025	24-07-1972	JAIPUR(CITY)	
23.	RAMCHANDRA YADAV S/O NANDA RAM YADAV 736678	05-08-1985	SIKAR	
24.	NATHU RAM S/O UMA RAM 772592	01-07-1987	BALOTRA	
25.	RAJENDRA KUMAR S/O SUMER SINGH YADAV 727151	04-09-1989	JHUNJHUNU	
26.	SUNITA MEENA D/O RAMESH CHANDRA 759190	03-08-1992	SAWAI MADHOPUR	
27.	MAHENDER SINGH INDA S/O MEGH SINGH INDA 778243	05-07-1981	JOHDPUR(CITY)	
28.	RAJENDRA SINGH BHATI S/O BHEEKH SINGH 774665	31-10-1984	JAISALMER	
29.	RAVI SINGH S/O ANAND SINGH 779820	27-09-FF1984	JODHPUR(CITY)	

8
2
/

उपरोक्त अभ्यर्थी को कनिष्ठ लेखाकार के पद पर नियुक्ति निम्नांकित शर्तों के अधीन दी जाती है :-

1. उक्त परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी को वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ15 (1) एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार नियत पारिश्रमिक दिया जायेगा। यह पारिश्रमिक माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित एस०एल०पी० 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम गोपाल कुमावत के निर्णय के अधीन होगा। राज्य सेवा में कार्यरत चयनित अभ्यर्थी सेवानियमों में निर्धारित प्रक्रिया के तहत पूर्व विभाग से नियमानुसार कार्यमुक्त होकर कार्यग्रहण करने पर ही पूर्व/विद्यमान की सेवा का लाभ देय होगा।
2. राज्य सरकार के कर्मचारियों को देय पेंशन एवं अन्य सेवा लाभ के संबंध में राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देश/आदेश लागू होंगे। यह नियुक्ति अभ्यर्थी के चरित्र एवं पूर्ववृत्त के पुलिस सत्यापन रिपोर्ट के अधीन रहेगी। यदि किसी अभ्यर्थी का चरित्र प्रमाण पत्र संतोषजनक प्रमाणित नहीं पाया गया तो उसके नियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये जायेंगे।
3. उपरोक्त अभ्यर्थियों की जन्मतिथि इनके द्वारा परीक्षा आवेदन पत्रों में अंकित एवं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा/सम्यक् सत्यापन के पश्चात् स्वीकृत जन्मतिथि के अनुसार तथा माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जारी प्रमाण पत्र के आधार पर अंकित की गई है।
4. दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूर्ण करने के उपरान्त इनका वेतन निर्धारण वित्त (नियम) विभाग की अधिसूचना सं. एफ15(1)एफडी/रुल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं दिनांक 09.12.2017 के अनुसार कनिष्ठ लेखाकार की पे मेट्रिक्स लेवल-10 में एवं नियमानुसार देय भत्तों पर किया जायेगा। परिवीक्षाकाल में इनको कोई वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते देय नहीं होंगे।
5. यह नियुक्ति राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय समय पर जारी आदेशों एवं शर्तों के अधीन है।
6. अभ्यर्थियों को राजस्थान सेवा नियमों के नियम-10 के अनुसार जिला स्तर के राजकीय चिकित्सा अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र उपस्थिति के समय कोषाधिकारी को प्रस्तुत करना होगा।
7. अभ्यर्थी को कार्यग्रहण के समय निम्नलिखित शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर ही उनकी उपस्थिति स्वीकार्य होगी:-
 1. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
 2. दहेज संबंधी शपथ पत्र
 3. धूम्रपान/गुटखा संबंधी शपथ पत्र
 4. चरित्र सत्यापन हेतु प्रपत्र-ए (उक्त 4 शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
 5. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों (संलग्न) में भरकर संबंधित कोषालय में प्रस्तुत करना होगा।
8. अभ्यर्थियों को परिवीक्षाकाल में विहित विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी। परिवीक्षाकाल में विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करने की स्थिति में अथवा राज्य सरकार द्वारा अन्यथा आवश्यक समझे जाने पर परिवीक्षा की अवधि स्वविवेकानुसार बढ़ाई जा सकती हैं। निर्धारित अवधि में विभागीय परीक्षा में दो से अधिक बार अनुत्तीर्ण होने पर इन्हे सेवा से मुक्त किया जा सकेगा।
9. राजस्थान यात्रा भत्ता नियमों के अनुभाग-1 में आने वाले मामले को छोड़कर सेवा ग्रहण करने के लिये कोई यात्रा भत्ता संदत्त नहीं होगा।
10. यदि सरकार की राय में इनका कार्य या आचरण परिवीक्षा की समयावधि में संतोषप्रद नहीं पाया जाये अथवा यह प्रतीत हो कि इनमें एक दक्ष कनिष्ठ लेखाकार होने की क्षमता नहीं है तो सरकार इन्हे सेवा से तुरन्त विमुक्त कर सकेगी।
11. उक्त नियुक्ति माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में दायर एस. बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 12726/2024 विक्रम वर्मा एवं अन्य बनाम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर व अन्य तथा अन्य कनेक्टेड याचिकाओं में दिनांक 09.12.2024 को जारी आदेश के क्रम में प्रस्तुत अभ्यावेदनों के निर्णय के अधीन रहेगी।
12. उक्त नियुक्ति कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा 2023 के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर में दायर याचिकाओं के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी।
13. उपरोक्त अभ्यर्थी उक्त आदेश की पालना में संबंधित कोषालय में आदेश जारी किए जाने के 15 दिवस में कार्यग्रहण नहीं करते हैं और ना ही किसी प्रकार की सूचना इस विभाग को भिजवाते हैं तो उनके नियुक्ति आदेश निरस्त करने की कार्यवाही की जा सकेगी।
14. भूतपूर्व सैनिकों (क्र.सं.- 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 29) को कार्यग्रहण के समय कम्प्यूटर योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही कार्यग्रहण कराया जाना सुनिश्चित करावे।


संलग्न:- शपथ-पत्रों के प्रारूप

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.4(ई)(1)(6)/पदस्थापन/पार्ट-1/अलेसे-III/013
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

दिनांक :- 13-05-2015

1. शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
2. शासन सचिव, कार्मिक (क-2) विभाग, राजस्थान शासन सचिवालय, जयपुर।
3. सचिव, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर।
4. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी, वित्त (विधि प्रकोष्ठ) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. उपविधि परामर्शी (विधि) कार्यालय हाजा।
6. कोषाधिकारी.....को प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थी द्वारा निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने के उपरांत ही इनकी उपस्थिति स्वीकार कर उक्त दस्तावेजों सहित जरिये विशेष वाहक कार्यग्रहण रिपोर्ट (सूची सहित) 07 कार्य दिवस में निदेशालय को प्रेषित करावे:-
 1. जिला स्तर के राजकीय चिकित्सा अधिकारी या उसके उच्च स्तर के अधिकारी से स्वास्थ्य के संबंध में संतोष जनक स्वास्थ्य प्रमाण पत्र
 2. सत्यनिष्ठा संबंधी शपथ पत्र
 3. दहेज संबंधी शपथ पत्र
 4. धूम्रपान/गुटखा सेवन न करने संबंधी शपथ पत्र
 5. चरित्र सत्यापन हेतु संलग्न प्रपत्र-ए में शपथ पत्र
 6. पुलिस सत्यापन हेतु अटेस्टेशन फार्म 05 प्रतियों में (उक्त क्रम संख्या 2 से 5 तक के शपथ पत्र 50 रुपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प/ई-स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत करना होगा।)
7. सम्बन्धित कोषाधिकारी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।
8. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव महोदय।
9. उपनिदेशक (एसीपी), कोष एवं लेखा, जयपुर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं पीआईएस (COINS) में रिकार्ड के संधारण हेतु।
10. संबंधित अभ्यर्थियों श्री/श्रीमती/कुमारी/सुश्री.....को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि वे कोष कार्यालय में कार्यग्रहण कर कार्यालयाध्यक्ष के माध्यम से कार्यग्रहण सूचना शीघ्र प्रेषित करावें।
11. रक्षित/निजी पत्रावली।


(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक II/III)

शपथ-पत्र

“मैं..... शपथ लेता हूँ/लेती हूँ सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता हूँ/करती हूँ कि भारत और विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा और सच्ची निष्ठा रखूंगा/रखूंगी, मैं भारत की प्रभुता और अखण्डता अक्षुण्ण रखूंगा/रखूंगी तथा मैं अपने पद के कर्तव्यों का राजभक्ति, ईमानदारी और निष्पक्षता से पालन करूंगा/करूंगी।

(अतः ईश्वर मेरी सहायता करे)“

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ-पत्र

मैं पुत्र/पुत्री.....आयु निवासी
.....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ/करती
हूँ कि मैं आज दिनांक तक अविवाहित हूँ।

अथवा

(विवाहित अभ्यर्थी के प्रकरण में दहेज प्रमाण-पत्र हेतु)

1. मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ कि मैंने विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लिया है और ना ही दहेज दिया है।
2. मेरे एक से अधिक पति/पत्नी नहीं है।
3. मैंने किसी ऐसी महिला/पुरुष से विवाह नहीं किया है जिसके पहले से जीवित पति/पत्नी है।

मैं शपथ पूर्वक घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त तथ्य सत्य है। जाँच के दौरान गलत पाये जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार रहूँगा/रहूँगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

नाम एवं हस्ताक्षर ससुर (शपथ ग्रहिता)

नाम एवं हस्ताक्षर पति/पत्नी (शपथ ग्रहिता)

नाम एवं हस्ताक्षर पिता (शपथ ग्रहिता)

शपथ-पत्र

1. मैं पुत्र/पुत्री..... आयु निवासी
.....सशपथ पूर्वक बयान करता
हूँ कि:-

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

- मैं वचनबद्ध हूँ कि मैं धूमपान एवं गुटखा सेवन नहीं करता हूँ/करती हूँ।
- मुझे किसी परीक्षा के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग/राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा वंचित (DEBAR) नहीं किया गया है अथवा मुझे परीक्षा से वंचित किये जाने की अवधि आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम दिनांक तक समाप्त हो चुकी थी।
- मेरे विरुद्ध कोई ऐसा प्रकरण विचाराधीन नहीं है, जिसके लिए मुझे राजकीय सेवा से अयोग्य किया जा सकता है।
- मेरे द्वारा साक्षी पत्र (Attestation form) में दिया गया विवरण/घोषणा की समस्त प्रविष्टियां सत्य एवं सम्पूर्ण अंकित कर दी गई है।
- मेरे द्वारा राज्य सरकार के नियुक्ति संबंधी उपबन्धों एवं नियमों को ध्यानपूर्वक पढ़ लिया गया है और मैं एतद् द्वारा उनकी पालना का वचन देता हूँ।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

दिनांक
स्थान

सत्यापन

- मैं पुत्र/पुत्री..... आयु निवासी
.....शपथ पूर्वक बयान करता
हूँ/ करती हूँ कि उक्त शपथ पत्र में दिया गया विवरण सत्य एवं सही है, इसमें कोई मिथ्या कथन अंकित नहीं हैं। मैंने कोई तथ्य छिपाये नहीं है, यदि कोई तथ्य/सूचना असत्य पायी जाती है तो मेरे विरुद्ध नियमानुसार विधि सम्मत कार्यवाही की जा सकती है, जिसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री..... आयु निवासी
.....शपथ पूर्वक बयान करता हूँ
कि :-

1. मेरा कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर से कनिष्ठ लेखाकार भर्ती परीक्षा वर्ष 2023 में चयन हुआ है। तथा मेरा मेरिट क्रमांक..... है।
2. मैं सत्यापित करता हूँ कि मेरा चरित्र उत्तम है और मेरे विरुद्ध किसी भी न्यायालय में दोष सिद्ध अपराध नहीं है और न ही कोई अपराधिक प्रकरण किसी न्यायालय में लम्बित है/पुलिस में अनुसंधानरत है।
3. यदि उक्त सूचनाएँ किसी तरह से पुलिस सत्यापन में असत्य पायी जावे तो प्रार्थी की कनिष्ठ लेखाकार पद की नियुक्ति बिना शर्त/नोटिस के निरस्त की जा सकेगी तथा असत्य कथन प्रस्तुत करने के लिये विभाग भारतीय न्याय संहिता/भारतीय दण्ड संहिता के उपबन्धों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही करने के लिये स्वतन्त्र होगा।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

नाम

सत्यापन

मैं उक्त शपथ ग्रहिता प्रमाणित करता हूँ कि उक्त मद संख्या 1 से 3 के तथ्य मेरे निजी जानकारी के अनुसार सही एवं प्रमाणित है।

हस्ताक्षर शपथ ग्रहिता

ATTESTATION FORM

"Warning"

Affix signed passport size (5 cms. x 7 cms.)
Approx. copy of recent photograph

1. The furnishing of false information or suppression of any the government factual information in the attestation form would be a disqualification, and is likely to render the candidate unfit for employment under the government.
2. If detained, arrested, prosecuted, bound down, fined, convicted, debarred, acquitted, etc. Subsequent to the completion and submission of this form, the details should be communicated immediately to the authorities to whom the attestation form has been sent earlier, failing which it will be deemed to be a suppression of factual information.
3. If the fact that false information has been furnished or that there has been suppression of any factual information in the Attestation Form, comes to notice at any time during the service of a person, his services would be liable to be terminated.

1.	Name in full (in block capitals letters) with aliases, if any place indicate if you have added or dropped in any stage any part of your name of surname.	
----	--	--

2.	Present address in full (i.e. village, Thana and District or House No. Lane/Street/ Road and Town)	
3.	(a) Permanent home address in full (i.e. village, Thana and District or House No. Lane/Street/ Road and Town have of District Headquarters)	
	(b) If originally a resident of Pakistan/Bangladesh (erstwhile East Pakistan), the address in that country and the date of migration to Indian Union.	

4. Particulars of places (with period of residence) where you have resided for more than one year at a time during the preceding five years. In case of stay abroad (including Pakistan), particulars of all places where you have resided for more than one year after attaining the age of 21 years should be given :

From	To	Residential address in full (i.e. village, Thana and District or House No. Lane/Street/Road and Town)	Name of the District Headquarters of the place mentioned in the preceding column

5.	Name (In full & aliases, if any)	Nationality (by Birth & or by domicile)	Place of birth	Occupation (if employed give designation & official address.)	Present postal address (if dead, give last Address)	Permanent Home Address
(i) Father						
(ii) Mother						
(iii) Wife/ Husband						
(iv) Brother(s)						
(v) Sister(s)						

5 (a) Information to be furnished with regard to sons and / or daughters in case they are studying/living in a foreign country :				
Name	Nationality (By birth and or by Domicile)	Place of Birth	Country In which studying/studying/livi ng with Full Address	Date from which Studying/Living in the country mentioned in the previous column

6. Aadhar Card No. :
7. Nationality :
8. (a) Date of Birth :
- (b) Present Age :
- (c) Age of matriculation :

9. (a) Place of Birth, District, and :
State in which situated
- (b) District and State to which :
you belong
- (c) District and State to which :
your father originally belong
10. (a) Your religion :
- (b) Are you a member of a SC/ST ? Answer
Yes or No :
11. Educational qualification showing place of education with years in schools and colleges since 15 years of age :

Name of School/college with Full Address	Date of entering	Date of leaving	Examination passed

12.(a) Are you holding or have any time held an appointment under the Central Govt. or State Govt. or a quasi-Govt. body or an Autonomous body or a public undertaking, or a private firm or institution ? If so, give full particulars with dates of employment up to date	
---	--

Period		Designation, emoluments & Nature of employment	Full Name/ address of employer	Reasons for leaving previous service
From	To			

(b) If the previous employment was under the Govt. of India/State Govt./an undertaking owned or controlled by the Govt. of India or a State Govt. an Autonomous Body/University/Local Body.

If you had left service on giving notice as provided in relevant rules or were any disciplinary proceeding framed against you, or had you been called upon to explain your conduct in any matter at the time you gave notice of termination of service or at a subsequent date before your service actually terminated ?

- 13.(i) (a) Have you ever been arrested ? Yes/No
- (b) Have you ever been prosecuted ? Yes/No
- (c) Have you ever been kept under detention ? Yes/No
- (d) Have you ever been bound down ? Yes/No
- (e) Have you ever been fined by a Court of Law ? Yes/No
- (f) Have you ever been convicted by a Court of Law for any offence ? Yes/No
- (g) Have you ever been debarred from any Examination or restricted by any University or any other educational authority/institution ? Yes/No
- (h) Have you ever been debarred/disqualified by any Public Service Commission/Staff Selection commission for any of its examination/selection ? Yes/No
- (i) Is any case pending against you in any Court of Law at the time of filling up this Attestation Form ? Yes/No

- (j) Is any case pending against you in any University or any other educational authority/institution at the time of filling up this Attestation Form ? Yes/No
- (k) Whether discharged/expelled/withdrawn from any training /institution under the Government of otherwise? Yes/No
- (ii) If the answer to any of the above mentioned question is "yes" (give full particulars of the case/arrest/detention/fine/conviction/punishment, etc. and/or the nature of the case pending in the Court/University/Educational Authority, etc. at the time of filling up this Attestation Form.

NOTE: i) Please also see the "Warning" at the top of this Attestation Form.
 ii) Specific answers to each of the questions should be given by striking out "yes" or "no" as the case may be.

14. Name of two responsible persons of your locality or two references to whom you are known :

(1)	(2)

I certify that the foregoing information is correct and complete to the best of my Knowledge and belief. I am not aware of any circumstances which might impair my fitness for employment under Government.

Signature of the Candidate

Place:

Date:

IDENTITY CERTIFICATE
(Certificate to be signed by any of the following)

- i Gazetted Officer of Central Government or State Govt ;
- ii Members of Parliament or State Legislative belonging to the constituency where the candidate or his parent/guardians ordinarily resident ;
- iii Sub-Divisional Magistrate/Officers ;
- iv Tehsildars or Naib Tehsildars authorized to exercise magisterial power ;
- v Principal/Headmaster of the recognized School/College/Institution where the candidate studied last ;
- vi Block Development Officer ;

Certified that I have known Shri/Smt./Kum.....
.....Son/Daughter of Shri.....
.....for the lastYears.....months
and that to the best of my knowledge and belief the particulars furnished by him/her
are correct.

Signature
Designation or Status & Address

Place:

Date:

TO BE FILLED BY OFFICE

i) Name, Designation and Full Address of the appointment authority.

ii) Post for which the candidate is being considered.